The Uttaranchal State Commission for Other Backward Classes Act, 2003

Act 7 of 2003

Keyword(s):
Other Backward Classes

Amendments appended: 1 of 2004, 3 of 2005, 2 of 2006

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

क्रम संख्या–088

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 27 मई, 2003 ई0
ज्येष्ठ 06, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 184/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003
देहरादून, 27 मई, 2003

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2003 पर दिनांक 16–04–2003 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 07, सन् 2003 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2003
(उत्तरांचल अधिनियम सं0 07, सन् 2003)

उत्तरांचल के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आयोग के गठन और उससे संबंधित और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगा।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में–

(क) "अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य नागरिकों के ऐसे वर्गों से है जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा सूची में निर्दिष्ट किया जाए;

(ख) "आयोग" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से है;

(ग) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है;

(घ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है;

(ङ) "सदस्य" का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है और इसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित है;

(च) "अनुसूची" का तात्पर्य समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची एक से है।

अध्याय–दो

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का गठन

3. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग और समानुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिए एक निकाय का गठन करेगी जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जायेगा।

(2) आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(3) आयोग में अध्यक्ष व दो सदस्य होंगे जो अन्य पिछड़ा वर्ग से होंगे जिनमें से एक महिला होगी। अध्यक्ष पद हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के योग्य पुरुष अथवा महिला पात्र हो सकते हैं।

पदावधि और शर्तें

4. (1) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा।

(2) कोई सदस्य राज्यपाल को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा यथास्थिति अध्यक्ष के या सदस्य के पद से किसी भी समय त्याग–पत्र दे सकता है किन्तु जब तक उसका त्याग–पत्र स्वीकृत नहीं कर लिया जाता, वह अपने पद पर बना रहेगा।

(3) राज्य सरकार किसी व्यक्ति को सदस्य के पद से हटा देगी, यदि वह व्यक्ति–

(क) अनुमोचित दिवालिया हो जाय;

(ख) किसी अपराध के लिए जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हो, सिद्धदोष और कारावास से दण्डित किया जाय;

(ग) विकृत चित्त हो जाय और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया जाय;

(घ) कार्य करने से इन्कार कर दे या कार्य करने के अयोग्य हो जाय;

(ङ) आयोग से अनुपस्थित रहने की छुट्टी प्राप्त किये बिना आयोग की निरन्तर तीन बैठकों में अनुपस्थित रहे; या

(च) राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष या सदस्य के पद का इस प्रकार दुरुपयोग करे जिससे उस व्यक्ति का पद पर बने रहना अन्य पिछड़े वर्गों के हित या लोकहित के लिये हानिकारक हो जाये परन्तु किसी भी व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन हटाया नहीं जायेगा जब तक कि उसे इस मामले में सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

(4) उपधारा (2) के अधीन या अन्यथा हुई किसी रिक्ति को नई नियुक्ति द्वारा भरा जायेगा।

(5) अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा में अन्य निर्बन्धन की शर्तें ऐसी होंगी, जैसी विहित की जायं।

आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

5. (1) राज्य सरकार आयोग को एक सचिव और ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध करायेगी जो आयोग के कृत्यों के दक्षतापूर्वक पालन के लिये आवश्यक हो।

(2) आयोग के प्रयोजन के लिये नियुक्त सचिव और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निर्बन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसी राज्य सरकार द्वारा विहित की जायं।

वेतन और भत्ते का भुगतान अनुदान से किया जाना

6. अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन और भत्ते और प्रशासनिक व्यय जिसमें धारा 5 से निर्दिष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतन, भत्ते और पेंशन भी सम्मिलित हैं, का भुगतान धारा 12 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से किया जायेगा।

रिक्तियां इत्यादि से आयोग की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी

7. आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही आयोग के गठन में केवल कोई रिक्त या त्रुटि होने के आधार पर अविधिमान्य नहीं होंगी।

आयोग द्वारा प्रक्रिया विनियमित किया जाना

8. (1) आयोग जब आवश्यक हो, ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा, जैसा अध्यक्ष उचित समझे।

(2) आयोग अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगा।

(3) आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय सचिव या सचिव द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

अध्याय–तीन

आयोग के कृत्य और शक्तियां

आयोग के कृत्य

9. (1) आयोग निम्नलिखित समस्त या किसी कृत्य का पालन करेगा अर्थात :–

(क) आयोग अनुसूची से किसी वर्ग के नागरिकों को अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में भी सम्मिलित किये जाने के अनुरोधों का परीक्षण करेगा और अनुसूची में किसी अन्य पिछड़े वर्ग के त्रुटिपूर्ण सम्मिलित किये जाने या सम्मिलित न किये जाने की शिकायतें सुनेगा और राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा, जैसा वह उचित समझे;

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन अन्य पिछड़े वर्गों के लिये उपबन्धित रक्षोपायों से संबंधित अन्य मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण करेगा और ऐसे रक्षोपायों की प्रणाली का मूल्यांकन करेगा;–

(ग) अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करेगा;

(घ) अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक, आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेगा और उन पर सलाह देगा और उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करेगा;

(ङ) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों की कार्य प्रणाली पर वार्षिक या ऐसे अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे, प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा;

(च) अन्य पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिये उन रक्षोपायों और अन्य उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक प्रतिवेदन में उन उपायों के संबंध में, जो राज्य सरकार द्वारा किये जाएं, सिफारिश करेगा;

(छ) अन्य पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण, विकास और अभिवृद्धि के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का जो राज्य सरकार द्वारा उसको निर्दिष्ट किये जाएं, निर्वहन करेगा।

(2) राज्य सरकार, राज्य विधान सभा के समक्ष वर्ष के अन्त में आयोग की रिपोर्ट और उसके साथ उसकी सिफारिशों पर की गई या किये जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारण, यदि कोई हों, का स्पष्टीकरण देते हुए ज्ञापन रखवायेगी।

आयोग की शक्ति

10. आयोग को धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते समय किसी बात का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की सभी और विशेषतः निम्नलिखित बातों के संबंध में शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात :—

(क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ–पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक दस्तावेज की या उसकी प्रतिलिपि की अधियाचना करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना; और

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाय।

राज्य सरकार द्वारा अनुसूची का नियतकालिक पुनरीक्षण

11. (1) राज्य सरकार किसी भी समय अनुसूची से उन वर्गों को, जो अन्य पिछड़े वर्ग में नहीं रखे गये हैं, निकालने की दृष्टि से या नये अन्य पिछड़े वर्गों को सम्मिलित करने के लिए अनुसूची का पुनरीक्षण कर सकती है और इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से दस वर्ष की समाप्ति पर उसके पश्चात प्रत्येक दस वर्ष की उत्तरवर्ती अवधि की समाप्ति पर पुनरीक्षण करेगी।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई पुनरीक्षण करते समय आयोग से परामर्श करेगी।

अध्याय–चार

वित्त लेखा एवं लेखा परीक्षण

राज्य सरकार द्वारा अनुदान

12. (1) राज्य सरकार, राज्य विधान सभा द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक विनियोग किये जाने के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये उपभोग किये जाने के लिए अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि, जैसा राज्य सरकार उचित समझे, आयोग को भुगतान करेगी।

(2) आयोग इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के पालन के लिए ऐसी राशि, जैसी वह उचित समझे, खर्च कर सकता है और ऐसी राशि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुदान से देय व्यय के रूप में समझी जायेगी।

लेखा और लेखा परीक्षा

13. (1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा और लेखों का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, तैयार करेगा।

(2) आयोग के लेखा की लेखा परीक्षा ऐसे लेखा परीक्षक द्वारा और ऐसे अन्तराल पर, जैसा विहित किया जाय, की जायेगी।

(3) लेखा परीक्षक को बहियों, लेखों, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों आदि पत्रादि को पेश करने की अपेक्षा करने और आयोग के किसी कार्यालय के निरीक्षण करने के लिए ऐसी शक्ति होगी, जैसी विहित की जाय।

वार्षिक रिपोर्ट

14. आयोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाय, वार्षिक रिपोर्ट उस वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापों का पूर्ण विवरण देते हुए तैयार करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा।

राज्य विधान सभा के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट को रखा जाना

15. राज्य सरकार धारा 9 के अधीन आयोग द्वारा दी गयी सलाह पर की गयी कार्यवाही और किसी ऐसी सलाह के अस्वीकार करने यदि कोई हो, के कारण के ज्ञापन के साथ वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट उनके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखवाएगी।

अध्याय–पांच

विविध

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी लोक सेवा सेवक होंगे

16. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अन्तर्गत आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी लोक सेवा सेवक समझे जायेंगे।

नियम बनाने की शक्ति

17. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेषतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात :–

(क) धारा 4 की उपधारा (8) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को और धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें;

(ख) प्रपत्र जिसमें धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक लेखा का विवरण रखा जायेगा;

(ग) प्रपत्र जिसमें और समय जब धारा 14 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी;

(घ) कोई अन्य विषय जिसे विहित किये जाने की अपेक्षा की जाय या विहित किया जाय।

शक्ति

18. जो कोई धारा 10 के अधीन आयोग के किसी आदेश या निदेश का पालन करने के लिये वैध रूप से आबद्ध होते हुए इस आदेश या निदेश की जान बूझकर अवज्ञा करे, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 174, 175, 176, 178, 179 या 180, जैसी भी स्थिति हो, दण्डनीय होगा।

अपराध का संज्ञान

19. कोई न्यायालय धारा 18 में विनिर्दिष्ट किसी अपराध का संज्ञान, अध्यक्ष या किसी सदस्य या आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत आयोग के किसी अधिकारी के परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं।

सद्भावना से की गई कार्यवाही का संरक्षण

20. किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गये नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सदभावना से किया गया हो या किए जाने के लिये अभिप्रेत हो, न तो कोई वाद या अभियोजन प्रस्तुत किया जाएगा और न अन्य विधिक कार्यवाही की जायगी।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

21. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार अधिसूचित आदेशों द्वारा कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसे उपबन्ध बना सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जायेगा।

(3) उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23(क) की उपधारा (1) के उपबन्ध (1) के अधीन बनाये गये प्रत्येक आदेश पर उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वे किसी उत्तरांचल अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में लागू होते हैं।

अपवाद

22. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी उत्तरांचल सरकार द्वारा गठित आयोग इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन गठित आयोग समझा जायगा, और उक्त आयोग के अध्यक्ष सदस्यों के तीन वर्ष के कार्यकाल की संगणना उनके द्वारा अपने पद ग्रहण करने के दिनांक से की जाएगी।

निरसन और अपवाद

23. (1) उत्तरांचल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग आयोग अधिनियम, 2001 को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध कभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

भरोसी लाल,
सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal Other Backward Classes Commission Bill, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 07 of 2003) for general information :

No. 184/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003
Dated Dehradun, May 27, 2003

NOTIFICATION

Miscellaneous

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on April 16, 2003.

THE UTTARANCHAL STATE COMMISSION FOR OTHER BACKWARD CLASSES ACT, 2003
(UTTARANCHAL ACT No. 07 OF 2003)

To constitute a Commission for Other Backward Classes other than Scheduled Castes and Scheduled Tribes of Uttaranchal and to provide for matters connected therewith or incidental thereto--

AN
ACT

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fourth Year of Republic of India as follows:--

CHAPTER--1
Preliminary

Short title, Commencement & extent

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal State Commission for Other Backward Classes Act, 2003.

(2) It shall be deemed to have come into force at once.

(3) It extends to the whole of Uttaranchal.

Definitions

2. In this Act--

(a) "Other Backward Classes" means such classes of citizens as may be specified by the State Government in the list from time to time;

(b) "Commission" means the State Commission for Other Backward Classes constituted under section 3;

(c) "The Governor" means the Governor of Uttaranchal;

(d) "The State Government" means the State Government of Uttaranchal;

(e) "Member" means a member of the Commission and includes the Chairman;

(f) "Schedule" means Schedule one of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 as amended from time to time.

CHAPTER--II

The State Commission for Other Backward Classes

Constitution of the State Commission for Other Backward Classes

3. (1) The State Government shall constitute a body to be known as the State Commission for Other Backward Classes to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to it under this Act.

(2) The headquarter of the Commission shall be at such place as the State Government may by notification, specify.

(3) The Commission shall consist of two members other than Chairman who should be belonging to Other Backward Classes and one member would be a women. Male or female of Other Backward Classes would be eligible for the post of chairman.

Term of office and conditions of service

4. (1) The Chairman and every other member shall hold office for a term of three years from the date, he assumes office.

(2) A member may, by writing under his hand addressed to the Governor, resign from the office of Chairman or Member, as the case may be, at any time but shall continue to hold office until his resignation is accepted.

(3) The State Government shall remove a person from the office of Member if that person—

(a) becomes an undischarged insolvent;

(b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude;

(c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court;

(d) refuses to act or becomes incapable of acting;

(e) is, without obtaining leave of absence from the Commission, absent from three consecutive meetings of the Commission; or

(f) has, in the opinion of the State Government, so abused the position of Chairman or Members as to render that person's continuance in office detrimental to the interests of Other Backward Classes or the public interest:

Provided that no person shall be removed under this clause until that person has been given an opportunity of being heard in the matter.

(4) A vacancy caused under sub-section (2) or otherwise shall be filled by fresh appointment.

(5) The salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of services of the Chairman and Members shall be such as may be prescribed.

Officers and other employees of the Commission

5. (1) The State Government shall provide the Commission with a Secretary and such other officers and employees as may be necessary for the efficient performance of the functions of the Commission.

(2) The salaries and allowances payable to, and other terms and conditions of services of, the Secretary and other officers and employees appointed for the purpose of the Commission shall be such as may be prescribed by the State Government.

Salaries and allowances to be paid out of grants

6. The salaries and allowances payable to the Chairman and Members and the administrative expenses, including salaries, allowances and pensions payable to the officers and other employees referred to in section 5, shall be paid out of the grants referred to in sub-section (1) of section 12.

Vacancies etc. not to invalidate proceedings of the Commission

7. No Act or proceeding of the Commission shall be invalid on the ground merely of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Commission.

Procedure to be regulated by the Commission

8. (1) The Commission shall meet as and when necessary at such times and place as the Chairman may think fit.

(2) The Commission shall regulate its own procedure.

(3) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Secretary or any other officer of the Commission duly authorized by the Secretary in this behalf.

CHAPTER--III

Functions and Powers of the Commission

Functions of the Commission

9. (1) The Commission shall perform all or any of the following functions, namely :--

(a) The Commission shall examine requests for inclusion of any class of citizens as an other backward class on the Schedule and hear complaints of wrong inclusion or non-inclusion of any other backward class in the Schedule and tender such advice to the State Government as it deems appropriate;

(b) To investigate and monitor all matters relating to the safeguards provided for the Other Backward Classes under any law for the time being in force or under any order of the State Government and to evaluate the working of such safeguards;

(c) To enquire into specific complaints with respect to the deprivation of right and safeguard of the Other Backward Classes.

(d) To participate and advice on the planning process of socio-economic development of the other backward classes and to evaluate the progress of their development;

(e) To present to the State Government annually and at such other times as the Commission may deem fit, reports upon the working of those safeguards;

(f) To make in such reports recommendations, as to the measures that should be taken by the State Government for the effective implementation of those safeguards and other measures for the protections, welfare and socio-economic development of other backward classes; and

(g) To discharge such other function in relation to the protection, welfare, development and advancement of the other backward classes as may be referred to it by the State Government.

(2) The State Government shall cause the reports of the Commission to be laid before State Legislature alongwith memorandum explaining the action taken or proposed to be taken on those recommendations and the reasons for the non-acceptance, if any, of the such recommendations.

Powers of the Commission

10. The Commission shall, while performing its functions under sub-section (1) of section 9, have all the powers of a civil court trying a suit and in particular, in respect of the following matters, namely :—

(a) Summoning and enforcing attendance of any person and examining him on oath;

(b) Requiring the discovery and production of any document;

(c) Receiving evidence on affidavits;

(d) Requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;

(e) Issuing Commission for the examination of witness and documents; and

(f) Any other matter which may be prescribed.

Periodic revision of the Schedule by the State Government

11. (1) The State Government may at any time, and shall on the expiration of ten years from the coming into force of this Act and every succeeding period of ten years thereafter, undertake revisions of the Schedule with a view to excluding from it to Schedule those classes who have ceased to be other backward classes or for including in the Schedule new other backward classes.

(2) The State Government shall, while undertaking any revision referred to in sub-section (1) consult the Commission.

CHAPTER--IV

Finance, Accounts and Audit

Grants by the State Government

12. (1) The State Government shall, after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, pay to the Commission by way of grants such sums of money as the State Government may think fit for being utilised for the purposes of this Act.

(2) The Commission may spend such sums as it thinks fit for performing the functions under this Act and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub-section (1).

Accounts and audit

13. (1) The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form and manner as may be prescribed.

(2) The accounts of the Commission shall be audited by such auditor and at such intervals as may be prescribed.

(3) The auditor shall have such powers of requiring the productions of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and for inspecting any of the offices of the Commission as may be prescribed.

Annual Report

14. The Commission shall prepare annual report for each financial year, in such form and at such time, as may be prescribed giving a full account of its activities during that financial year and forward a copy thereof to the State Government.

Annual Report and audit report to be laid before the State Legislature

15. The State Government shall cause the annual report, together with a memorandum of action taken on the advice tendered by the Commission under section 9 and the reasons for the non-acceptance, if any, of any such advice, and audit report to be laid as soon as may be after they are received before the State Legislature.

CHAPTER--V

Miscellaneous

Chairman, members and employees of the Commission to be public servant

16. The Chairman, members and employees of the Commission shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860.

Power to make rules

17. (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purpose of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

(a) Salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of services of, the Chairman and members under sub-section (8) of section 4 and of officers and other employees under sub-section (2) of section 5;

(b) The form in which the annual statements of accounts shall be maintained under sub-section (1) of section 13;

(c) The form in, and the time at, which the annual report shall be prepared under section 14;

(d) Any other matter which is required to be or may be prescribed.

Penalty

18. Whoever being legally bound to obey any order or direction of the Commission under section 10, disobeys such order or direction shall be punishable under sections 174, 175, 176, 178, 179 or 180 of the Indian Penal Code, 1860, as the case may be.

Cognizance of offences

19. No court shall take cognizance of any of the offences specified in section 18 except on the complaints in writing of the Chairman or a member or of an officer of the Commission authorized in this behalf by the Commission.

Protection of action taken in good faith

20. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act or the rules made thereunder.

Power to remove difficulties

21. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by a notified order, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty.

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of two years from the commencement of this Act.

(3) The provisions of sub-section (1) of section 23-A of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 shall apply to the order made under sub-section (1) as they apply in respect of rules made by the State Government under any Uttaranchal Act.

Exceptions

22. Notwithstanding anything in this Act, the Commission constituted by the Uttaranchal Government shall be deemed to have been duly constituted under the provision of this act and the term of three years of the Chairman and other members of the said Commission shall be computed from the date on which they had assumed charge of their respective offices.

Repeal and Saving

23. (1) The Uttaranchal Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Act, 2001 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Act referred to in sub-section(1) shall be deemed to have or taken under this Act.

By Order,

BHAROSI LAL,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 08 विधायी/138—2003—500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–53

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/02
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 28 फरवरी, 2004 ई0
फाल्गुन 09, 1925 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 45/विधायी एवं संसदीय कार्य/2003
देहरादून, 28 फरवरी, 2004

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2003 पर दिनांक 27–02–2004 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 01, सन् 2004 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2003
(उत्तरांचल अधिनियम सं0 01, सन् 2004)

उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2003 में अग्रेतर संशोधन के लिए :–

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और विस्तार

1. (1) यह अधिनियम उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभावी होगा।

(3) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा।

मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ङ) का संशोधन

2. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ङ) में निम्न संशोधन कर दिया जाएगा :— शब्द "अध्यक्ष" के बाद शब्द "तथा उपाध्यक्ष" जोड़ दिये जाएंगे।

मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निम्न संशोधन कर दिया जाएगा :— शब्द "अध्यक्ष" के बाद शब्द "एक उपाध्यक्ष" जोड़ दिये जाएंगे।

मूल अधिनियम की धारा 4, 6, 16, 17, 19 तथा 22 में संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 4, 6, 16, 17, 19 तथा 22 में जहां–जहां शब्द "अध्यक्ष" तथा "सदस्य" आये हैं, वहां शब्द "अध्यक्ष" के बाद "उपाध्यक्ष" भी पढ़ा जाएगा।

मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के पश्चात् दो नई उपधाराओं (4) व (5) का जोड़ा जाना

5. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के पश्चात् दो नई उपधाराएं क्रमशः (4) एवं (5) निम्नवत् जोड़ दी जाएंगी :—

(4) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि अध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित है या अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो उन कर्तव्यों का, उपाध्यक्ष द्वारा तब तक निर्वहन किया जाएगा जब तक नया अध्यक्ष अपना पद धारण नहीं करता है या, यथास्थिति, विद्यमान अध्यक्ष अपने पद को फिर से नहीं संभालता है।

(5) यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो जाते हैं, तो अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का निर्वहन ऐसे सदस्य द्वारा, जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्देशित करे, किया जाएगा।

आज्ञा से,

बी0 लाल,

सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal State Commission for Other Backward Classes (Amendment) Bill, 2003 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 01 of 2004) for general information :

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on February 27, 2004.

No. 45/Vidhayee and Sansadiya Karya/2003
Dated Dehradun, February 28, 2004

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARANCHAL STATE COMMISSION FOR OTHER BACKWARD CLASSES (AMENDMENT) ACT, 2003
(UTTARANCHAL ACT NO. 01 OF 2004)

to further amend The Uttaranchal State Commission for Other Backward Classes Act, 2003 :

An

Act

BE IT enacted in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows:--

Short title, Commencement & Extent

1. (1) This Act may be called The Uttaranchal State Commission for Other Backward Classes (Amendment) Act, 2003.

(2) It shall come into force with immediate effect.

(3) It extends to the whole of Uttaranchal.

2. Clause (e) of section 2 of the Principal Act shall be amended as follows :–

The words "and Vice-Chairman" shall be added after the word "Chairman."

Amendment of clause (e) of section 2 of the Principal Act

3. Sub-section (3) of section 3 of the Principal Act shall be amended as follows :–

The words "one Vice-Chairman" shall be added after the word "Chairman."

Amendment of sub-section (3) of section 3 of the Principal Act

4. In section 4, 6, 16, 17, 19 and 22 of the Principal Act, wherever the words "Chairman and Members" occur, shall be read as "Vice-Chairman" after the word "Chairman."

Amendment in the section 4, 6, 16, 17, 19 and 22 of the Principal Act

5. After sub-section (3) of section 8 of the Principal Act, two new sub-sections (4) & (5), respectively, shall be added as follows :–

(4) If the office of the Chairman falls vacant or if the Chairman is, for any reason, absent or unable to discharge the duties of his office, these duties shall, until the new Chairman assumes office or the existing Chairman resumes his office, as the case may be, be discharged by the Vice-Chairman.

(5) If the offices of both Chairman and Vice-Chairman fall vacant, the duties of the office of Chairman shall be discharged by such member, as the State Government may, by order, direct.

Addition of two new sub- section (4) & (5) after sub-section (3) of section 8 of the Principal Act

By Order,

BHAROSI LAL,
Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 18 विधायी/128–2004–500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–10

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 27 जनवरी, 2005 ई0
माघ 07, 1926 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 413/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005
देहरादून, 27 जनवरी, 2005

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 पर दिनांक 27–01–2005 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 03, सन् 2005 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2005
(उत्तरांचल अधिनियम सं0 03, सन् 2005)

उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2003 में अग्रेत्तर संशोधन के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2005 कहलाएगा।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल में लागू होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) का संशोधन

2—मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निम्नवत् संशोधन कर दिया जाएगा :—

शब्द 'दो सदस्य' के स्थान पर शब्द 'ग्यारह सदस्य' रख दिए जाएंगे।

आज्ञा से,

आई0 जे0 मल्होत्रा,
प्रमुख सचिव।

No. 413/Vidhayee & Sansadiya Karya/2005
Dated Dehradun, January 27, 2005

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal State Commission for Other Backward Classes (Second Amendment) Bill, 2005 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 03 of 2005).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 27-01-2005.

THE UTTARANCHAL STATE COMMISSION FOR OTHER BACKWARD CLASSES
(SECOND AMENDMENT) ACT, 2005

(UTTARANCHAL ACT No. 03 OF 2005)

To further amend the Uttaranchal State Commission for Other Backward Classes Act, 2003

AN

ACT

Be it enacted in the Fifty-fith Year of the Republic of India as follows :—

Short title, Extent and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal State Commission for Other Backward Classes (Second Amendment) Act, 2005.

(2) It extends to the whole of Uttaranchal.

(3) It shall come into force with immediate effect.

Amendment of Sub-section (3) of Section 3 of the Principal Act

2. Sub-section (3) of section 3 of the principal Act shall be amended as follows :—

The words 'eleven members' shall be substituted in place of the words 'two members'.

By Order,

I. J. MALHOTRA,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03 विधायी/27—2005—85+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–47

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 28 मार्च, 2006 ई0
चैत्र 07, 1928 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 709/विधायी एवं संसदीय कार्य/2006
देहरादून, 28 मार्च, 2006

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (तृतीय संशोधन) विधेयक 2005 पर दिनांक 28 मार्च, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 02, सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2006
(उत्तरांचल अधिनियम सं0 02, सन् 2006)

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में उत्तरांचल राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो;

उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2003 में अग्रेत्तर संशोधन के लिये–

अधिनियम

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2006 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 3 का संशोधन

2—उत्तरांचल अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (3) में, "एक उपाध्यक्ष" शब्दों के स्थान पर, "दो उपाध्यक्ष" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 4, 6, 16, 17 एवं 19 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 4, 6, 16, 17 एवं 19 में "उपाध्यक्ष" शब्द के स्थान पर, "दो उपाध्यक्ष" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 8 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (4) एवं (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी:—

"(4) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है या यदि अध्यक्ष किसी कारण से अनुपस्थित है या अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो उन कर्तव्यों का, वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा तब तक निर्वहन किया जाएगा, जब तक नया अध्यक्ष अपना पद धारण नहीं करता है, या, यथास्थिति, विद्यमान अध्यक्ष अपने पद को फिर से नहीं संभालता है। यदि अध्यक्ष के साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी उपरोक्त कारणों से उपस्थित नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में कनिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष पद के दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा।

(5) यदि अध्यक्ष और दोनों उपाध्यक्षों के पद रिक्त हो जाते हैं, तो अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का निर्वहन ऐसे सदस्य द्वारा, जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्देशित करे, किया जाएगा।"

आज्ञा से,

यू0 सी0 ध्यानी,
सचिव।

No. 709/Vidhayee & Sansadiya Karya/2006
Dated Dehradun, March 28, 2006

NOTIFICATION

Miscelleneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the Uttaranchal State Commission for Other Backward Classes [Third Amendment Bill, 2005 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 02 of 2006].

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 28 March, 2006.

THE UTTARANCHAL STATE COMMISSION FOR OTHER BACKWARD CLASSES (THIRD AMENDMENT) ACT, 2006

(UTTARANCHAL ACT No. 02 OF 2006)

AN

ACT

further to amend the Uttaranchal State Commission for Other Backward Classes Act, 2003.

Be it enacted by the Uttaranchal State Assembly in the Fifty Sixth Year of the Republic of India as follows--

Short title, Extend and Commencement

1. (1) This Act may be called the Uttaranchal State Commission for Other Backward Classes (Third Amendment) Act, 2006.

(2) It extends to the hole State of Uttaranchal.

(3) It shall come into force at once.

Amendment of Section 3

2. In the Uttaranchal State Commission for Other Backward Classes Act, 2003 (hereinafter referred to as the principal Act); in sub-section (3) of section 3 in place of the words "Vice-chairman" the word "Two Vice-chairmen" shall be substituted.

Amendment of Sections 4, 6, 16, 17 and 19

3. In section 4, 6, 16, 17 and 19 of the principal Act, for the word; "Vice-chairman" the words, "Two Vice-chairmen" shall be substituted.

Amendment of Section 8

4. In section 8 of the principal Act, the following sub-sections shall be substituted in place of sub-section (4) and (5) respectively:--

"(4) If the office of the Chairman falls vacant or if the chairman is, for any reason, absent or unable to discharge the duties of his office, these duties shall, until the new Chairman assumes office or the existing Chairman resumes his office, as the case may be, be discharged by the senior Vice-chairman. If senior Vice-chairman is also absent along with Chairman due to above reasons, in such circumstances junior Vice-chairman shall discharge the duties of the Chairman.

(5) If the offices of the Chairman and both the Vice-chairmen fall vacant, the duties of the office of the Chairman shall be discharged by such member, as the State Government may, by order direct."

By Order,

U. C. DHYANI,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 3 विधायी/174–2006–100+400 (कम्प्यूटर/रीजियो)।